राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 25/07/2022 को संपन्न 417वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 415वीं एवं 416वीं बैठक क्रमशः दिनांक 14/07/2022 एवं 15/07/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 415वीं एवं 416वीं बैठक क्रमशः दिनांक 14/07/2022 एवं 15/07/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–जमीरापाट, तहसील–कुसमी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2022ए)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 76931/2022, दिनांक 13/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जमीरापाट, तहसील–कुसमी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक – 2188, 2189 एवं 87 अन्य, कुल क्षेत्रफल – 114.009 हेक्टेयर (निजी भूमि – 107.315 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 6.694 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 91,438.03 टन प्रतिवर्ष, अपशिष्ट क्षमता – 49,235.86 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 12 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31/05/2022 एवं 10/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:–

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील/जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	जमीरापाट	बलरामपुर/ बलरामपुर–रामानुजगंज	114.009	76931
2.	सरभंजा	मैनपाट/सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोडला/कबीरधाम	42.646	75075
4.	डांडकेसरा	मैनपाट/सरगुजा	44.718	78162

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आरक्षण के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–चिरंगा, जिला–सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री जयन्त कुमार पाहिने, चीफ जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ओकरसीस माईन–टेक कन्सल्टेंट्स की ओर से श्री अरूण कुमार यादव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. बलरामपुर/बॉक्साइट/खयो–1325/2021 रायपुर, दिनांक 28/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/सीएमडीसी/2022 बलरामपुर, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/सीएमडीसी/2022 बलरामपुर, दिनांक 21/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक

क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–9/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 12/01/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का खसरा, बी–1, पी–2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू–स्वामियों को खनिपट्टा अनुबंध होने के उपरांत शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल, जिला–बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2021/2992 बलरामपुर, दिनांक 10/06/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जमीरापाट 2 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल अर्थ से मापने पर झारखंड अंतर्राज्यीय सीमा 3.3 कि.मी. दूर होना पाया गया है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित कवारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 27,89,732 टन एवं माईनेबल रिजर्व 26,96,597 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं लैटेराइट मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 19 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	First year exploratory borehole proposed

द्वितीय	65,595.9
तृतीय	75,550.87
चर्तुथ	84,961.36
पंचम	91,438.03

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यदि लीज क्षेत्र के भीतर वृक्ष, रहवास आदि अवस्थित हो तो वृक्ष की कटाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/ सीएमडीसी/ 2022 बलरामपुर, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–जमीरापाट) का रकबा 114.009 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.

   iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

In case any lease area comes under forest area, project proponent shall submit the stage-1 forest clearance under FCA, 1980 (Forest conservation Act) before the submission of final EIA report.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. As per submition made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.

vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.

x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from compenent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.

xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

xx. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in india.

xxi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–सरभंजा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2026)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77027/2022, दिनांक 17/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सरभंजा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक – 978, 979 एवं 206 अन्य, कुल क्षेत्रफल–207.87 हेक्टेयर (निजी भूमि – 66.63 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 131.24 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,60,000 टन प्रतिवर्ष, अपशिष्ट क्षमता – 80,769.23 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 10 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31/05/2022 एवं 10/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है –

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:–

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील / जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	जमीरापाट	बलरामपुर / बलरामपुर–रामानुजगंज	114.009	76931
2.	सरभंजा	मैनपाट / सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोडला / कबीरधाम	42.646	75075
4.	डांडकेसरा	मैनपाट / सरगुजा	44.718	78162

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आरक्षण के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–घिरगा, जिला–सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री जयन्त कुमार पाशिने, चीफ जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ओकरसीस माईन–टेक कन्सल्टेंट्स की ओर से श्री अरूण कुमार यादव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. सरगुजा/बॉक्स/खयो–1324/2021 रायपुर, दिनांक 28/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 861/ख.लि.–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 861/ख.लि. –1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे

मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–19/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 12/01/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का खसरा, बी–1, पी–2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू–स्वामियों को खनिपट्टा अनुबंध होने के उपरांत शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि/2195 अम्बिकापुर, दिनांक 16/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–केसरा 4 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर 82 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 46,48,320 टन एवं माईनेबल रिजर्व 38,88,313 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं लैटेराइट मिट्टी की मोटाई 0.8 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,10,104.44
द्वितीय	1,19,905.39
तृतीय	1,38,213.76

चतुर्थ	1,45,994.85
पंचम	1,50,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 6,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की बाँड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्ष स्थित है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र में कुल 224 नग वृक्ष (192 नग साल, 30 नग सीसमिरी, 01 नग कटहल एवं 01 नग आम) है। उक्त के संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर कुछ रहवास निर्मित है। उक्त के संबंध में माईनिंग प्लान में वृक्ष, रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किये जाने का उल्लेख है। अतः समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 861/ख.नि.–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सरमंजा) का रकबा 207.87 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

   i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.

iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary. In case any lease area comes under forest area, project proponent shall submit the stage-1 forest clearance under FCA, 1980 (Forest conservation Act) before the submission of final EIA report.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. As per submition made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.

vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.

x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from compenent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.

xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

xx. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in india.

xxi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–सलगी, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1991)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 75075/2022, दिनांक 13/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/05/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सलगी, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक – 43/2, 61 एवं 51 अन्य, कुल क्षेत्रफल–42.646 हेक्टेयर (निजी भूमि – 32.898 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 9.748 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,99,875 टन प्रतिवर्ष, अपशिष्ट क्षमता – 1,07,625 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 2.78 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31/05/2022 एवं 10/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:–

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील / जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	जमीरापाट	बलरामपुर / बलरामपुर–रामानुजगंज	114.009	76931
2.	सरभंजा	मैनपाट / सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोड़ला / कबीरधाम	42.646	75075
4.	डांडकेसरा	मैनपाट / सरगुजा	44.718	78162

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आवंटन के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–चिरगा, जिला–सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार धन्द्राकर, एसीसटेंट जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स श्रुस्टी सेवा प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री उमाकांत एकनाथजी रोडे उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. कबीरधाम/बौक्सा/खयो–1317/2021–रायपुर, दिनांक 01/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 902/ख.ले./खनिज/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 902/ख.ले./खनिज/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में ग्राम–सलगी बसाहट जिसके अंतर्गत 17 परिवार निवासरत है एवं गौठान, आंगनबाड़ी मरघट, कच्ची सड़क स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदी, तालाब, पुलिया, बांध, मंदिर, मस्जिद, रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं अस्पताल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये उत्खनन कार्य किया जाएगा, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–16/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 20/12/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का खसरा, बी–1, पी–2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू–स्वामियों को खनिपट्टा अनुबंध होने के उपरांत शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमंडल, जिला–कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./8250 कवर्धा, दिनांक 17/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 20–25 मीटर की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ–1/2008/10–11 भोपाल, दिनांक 23/11/2010 द्वारा वन क्षेत्र से तथा वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर क्षेत्र के अंदर खनि रियायत देने हेतु विचार करने के लिए गठित समिति के समक्ष भेजे जाने वाले प्रस्ताव हेतु पत्र जारी

किया गया था। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक सं.–02/151 रायपुर, दिनांक 02/02/2022 द्वारा "उपर्युक्त निर्देश मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित थे तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे, अतः संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित निर्देशों का संज्ञान में नहीं लिया जाए।" का उल्लेख है। समिति का मत है कि नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा इसके अंतर्गत नियमों में प्रावधानित वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी छोड़कर खनन संक्रिया करेगा, के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा इसका समावेश फाईनल ई.आई.ए./ ई.एम.पी. रिपोर्ट में किया जाना आवश्यक है। अतः माईनिंग प्लान में उक्त दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये संशोधित एवं सक्षम अधिकारी से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित लीज क्षेत्र के खसरा क्रमांक 149 एवं 153, वन भूमि से लगी हुई है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सलगी लीज क्षेत्र से लगी हुई है एवं रेल्वे स्टेशन हथबंद 140 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कि.मी. दूर है। हॉफ नदी 2.3 कि.मी. दूर है। दलदली आरक्षित वन 2 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित वर्यारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 15,16,678 टन एवं माईनेबल रिजर्व 12,47,129 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,910
द्वितीय	50,232
तृतीय	59,202
चर्तुथ	83,720
पंचम	89,102

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में आगामी 5 वर्षों हेतु वर्षवार उत्खनन योजना प्रस्तुत की गई है। कॉन्सेप्चुअल प्लान के अनुसार आगामी सालवे वर्ष में अधिकतम उत्खनन 1,99,875 टन प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यदि लीज क्षेत्र के भीतर वृक्ष, रहवास आदि अवस्थित हो तो वृक्ष की कटाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के मध्य से पक्की सड़क गुजर रही है। लीज क्षेत्र के दोनों तरफ 50–50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाएगा। उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 902/ख.नि./खनिज/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सलगी) का रकबा 42.646 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.

   iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

iv. In case any lease area comes under forest area, project proponent shall submit the stage-1 forest clearance under FCA, 1980 (Forest conservation Act) before the submission of final EIA report.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. As per submition made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.

vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.

x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from compenent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.

xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

xx. The project proponent shall submit an undertaking that the project proponent shall as per rule carryout mining after leaving the prescribed distance from the forest boundary as laid down in forest act, forest

conservation act 1980 and rule made there under and incorporate the same in EIA/EMP report.

xxi. The project proponent shall submit the revised mining plan duly approved from competent authority.

xxii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in india.

xxiii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–डांडकेसरा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2073)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78162/2022, दिनांक 10/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डांडकेसरा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक – 42/3,43 एवं 78 अन्य, कुल क्षेत्रफल–44.718 हेक्टेयर (निजी भूमि 44.718 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,25,000 टन प्रतिवर्ष, अपशिष्ट क्षमता – 67,307.7 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 4.8 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31/05/2022 एवं 10/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:–

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील / जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	जमीरापाट	बलरामपुर / बलरामपुर– रामानुजगंज	114.009	76931
2.	सरभंजा	मैनपाट / सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	बोडला / कबीरधाम	42.646	75075
4.	डांडकेसरा	मैनपाट / सरगुजा	44.718	78162

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आरक्षण के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–घिरंगा, जिला–सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक

28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री जयन्त कुमार पाशिने, चीफ जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ओव्हरसीस माईन–टेक कन्सल्टेंट्स की ओर से श्री अरूण कुमार यादव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. सरगुजा/बॉक्स/खयो–1328/2022 रायपुर, दिनांक 01/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 883/ख.नि.–1/एम.एल./2022

अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 863/ख.नि.–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–20/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का खसरा, बी–1, पी–2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उल्लेखनिपट्टा क्षेत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू–स्वामियों को खनिपट्टा अनुबंध होने के उपरांत शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./122 अम्बिकापुर, दिनांक 21/01/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार "छोटे बड़े झाड़ के जंगल" है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में ग्राम–डांडकेसरा, कुल क्षेत्रफल 91.3 हेक्टेयर क्षेत्र में बॉक्साईट खनिपट्टा हेतु आवेदन किया गया था। परंतु उक्त प्रमाण पत्र के प्राप्ति उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के पृ. ज्ञापन क्रमांक/अम्बिकापुर/2021–22/681(1) दिनांक 18/01/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर वन भूमि आने के कारण कुल क्षेत्रफल 91.3 हेक्टेयर में से 46.582 हेक्टेयर क्षेत्र में को आबादी क्षेत्र (32.146 हेक्टेयर) एवं छोटे बड़े झाड़ के जंगल (14.436 हेक्टेयर) होने के कारण 46.582 हेक्टेयर को छोड़कर शेष 44.718 हेक्टेयर क्षेत्र है। समिति का मत है कि छोटे बड़े झाड़ के जंगल क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य में उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होगें। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डांडकेसरा 700 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर 60 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 36,04,080 टन एवं माईनेबल रिजर्व 24,14,655 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.6 मीटर से 7.8 मीटर एवं लैटेराइट मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर से 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	75,000
चतुर्थ	1,00,000
पंचम	1,25,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यदि लीज क्षेत्र के भीतर वृक्ष, रहवास आदि अवस्थित हो तो वृक्ष की कटाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी अथवा वृक्ष, रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के मध्य से राज्यमार्ग गुजर रही है। लीज क्षेत्र के दोनों तरफ 50–50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाएगा। उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 883/ख.नि.–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–डांडवोसरा) का रकबा 44.718 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.

   iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary. In case any lease area comes under forest area, chhote bade jhar ke jungle, project proponent shall submit the stage-1 forest clearance under FCA, 1980 (Forest conservation Act) before the submission of final EIA report.

   v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

   vi. As per submition made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.

   vii. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.

   viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

   ix. Project proponent shall submit affidavit for completion of Public Hearing Commitments.

   x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from competent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.

   xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the land documents with consent letter from land owners for uses of land.

xv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xvi. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xvii. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

xviii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

xx. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in india.

xxi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स मां शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी, मंदिरहसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2046)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77308/2022, दिनांक 27/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिरहसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 699, कुल क्षेत्रफल–4.048 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष से 7,22,325 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 24/12/2021 द्वारा मेसर्स सालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड को एन.एच.–130–सी.डी. सड़क निर्माण (Development of six lane Jhanki-Sargi section of NH-130-CD road from km 00+000 to km 42+800 under Raipur-Visakhapatnam economic corridor in the state of CG on Hybrid Annuity Mode) हेतु लेख किया गया है।

2. मेसर्स सालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स मां शारदा मिनरल्स के मध्य उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु एन.ओ.यू. (Memorandum of understanding) दिनांक 31/03/2022 को हुआ है।

चूँकि आवेदित प्रकरण के तहत् चूना पत्थर का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य हेतु किया जाना है। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 699, कुल क्षेत्रफल–4.048 हेक्टेयर, क्षमता–2,98,670 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 28/12/2020 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 912/खा.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 22/07/2022 अनुसार विगत वर्षों में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक पूर्व से संचालित खदान है, जिसे वर्तमान में ई–ऑक्शन के माध्यम से प्राप्त की गई है। खनिज विभाग द्वारा उक्त हेतु लीज डीड जारी किया गया है। साथ ही प्रकरण में पूर्व में समिति द्वारा जारी टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) के अनुसार लोक सुनवाई कराई गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लोक सुनवाई के दौरान भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई लिखित/मौखिक आपत्ति नहीं की गई। अतः प्रकरण में ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। समिति का मत है कि चुंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः प्रस्तावित क्षमता हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन इन क्वारी प्लान एलॉंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 2463/खनि 02/मा.प.अनुमोदन/न.क.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 18/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 482/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 05/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 29.858 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 482/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 05/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स मां शारदा मिनरल्स के नाम पर है। लीज डीड दिनांक 12/10/2020 से 11/10/2027 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 699 श्री ठाकुर रामचन्द्र जी स्वामी (नागरी दास) मंदिर ट्रस्ट के नाम पर है। भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक पूर्व से संचालित खदान है, जिसे वर्तमान में ई–ऑक्शन के माध्यम से प्राप्त की गई है। अतः सहमति पत्र की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। समिति का मत है कि चुंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः प्रस्तावित क्षमता हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, जिला–रायपुर के ज्ञापन कमांक/मा.वि./रा./4655 रायपुर, दिनांक 05/09/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी मंदिर हसौद 1.7 कि.मी., स्कूल मंदिर हसौद 2 कि.मी. एवं अस्पताल मंदिर हसौद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. है। केनाल 127 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 23,04,637 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,44,650 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,940 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई कुल 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,600 घनमीटर है, जिसमें से 5,940 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं 12,660 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र से लगी हुई भूमि में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,22,325
द्वितीय	7,22,325

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 531 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग में तथा लीज क्षेत्र के बाहर ऊपरी मिट्टी भण्डारित स्थल पर 431 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इस प्रकार कुल 962 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,940 वर्गमीटर क्षेत्र में से 1,650 वर्गमीटर क्षेत्र 13.5 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है। पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किया जाना संभव नहीं है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष हेतु क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2019 से 31/12/2019 के मध्य किया गया था तथा लोक सुनवाई दिनांक 10/08/2020 को संपन्न कराई गई थी। अतः वर्तमान में आवेदित उत्खनन क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष से 7,22,325 टन प्रतिवर्ष हेतु पूर्व डाटा कलेक्शन का कार्य एवं लोक सुनवाई को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। पूर्व में लोक सुनवाई हुई थी, वह 2,96,670 टन प्रतिवर्ष क्षमता के लिए थी। वर्तमान में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि चूना पत्थर उत्खनन क्षमता 7,22,325 टन प्रतिवर्ष हेतु लोक सुनवाई कराया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व में एकत्रित बेस लाईन डाटा का उपयोग करते हुये क्लस्टर की क्यूमिलिटीव ई.आई.ए. रिपोर्ट (Cumulative EIA Report) तैयार किया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 482/खनि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 05/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 29.858 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मंदिरहसौद) का रकबा 4.048 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मंदिरहसौद) को मिलाकर कुल रकबा 33.906 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल

क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Cumulative Environment Impact Study report in the EIA.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Proposed Capacity of Mining.

v. Project proponent shall submit the consent letter from land owners for uses of land.

vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS and submit an affidavit that controlled blasting shall be done by Explosive License Holder & incorporate the permission in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit to accomplice the commitments made to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

x. Project proponent shall undertake noise study (incorporating in the mining operation, vehicular movement during mine operation, control blasting etc) and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall submit the restoration plan and shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in india.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड (सेमरिया लाईम स्टोन माईन), ग्राम–सेमरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1491)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 59127 / 2020, दिनांक 15 / 12 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29 / 12 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22 / 01 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेमरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 147, कुल क्षेत्रफल–3.096 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस माइनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. भू–स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के

कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज एवं अनुरोध पत्र दिनांक 13/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अरोरा, सीनियर जनरल मेनेजर एवं डॉ. सतीष मिश्रा, जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स एनार्जन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा सस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।
   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/2694/खनि.लि.2/खनिज/2020 दुर्ग, दिनांक 02/09/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	खनिज उत्पादन (टन)
जनवरी 2014 से दिसम्बर 2015	निरंक

2016	3,128.4
2017	1,822.74
2018	499.58
जनवरी 2019 से जून 2020	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमरिया(गि.) का दिनांक 26/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन इन एप्रुव्ड माईनिंग प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/दुर्ग/चूप/खयो–1073/2017–रायपुर, दिनांक 24/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4203/खनि.लि./खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 519.8 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4203/खनि.लि./खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री अशोक बाफना के नाम पर थी। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/09/2001 से 17/09/2021 तक थी। लीज का हस्तांतरण दिनांक 20/06/2013 को मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट के नाम पर किया गया। लीज डीड की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/3999 दुर्ग, दिनांक 01/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 3.14 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमरिया 0.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–सेमरिया 1 कि.मी. एवं अस्पताल धमधा 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.7 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 2 कि.मी. एवं तांदुला नाला 3 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नही होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,15,800 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,47,100 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,175 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट फुल्ली मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 59 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नही है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नही किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। आगामी वर्षों की वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण प्रस्तुत एप्रूव्ड माईनिंग प्लान नहीं है। अतः उक्त का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति शिवनाथ नदी एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना बताया गया है। जिसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्खनित होना बताया गया है।

15. प्रस्तुत गूगल मैप में बरसाती नाला खदान से लगा होना प्रतिपादित हुआ। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत गूगल मैप में त्रुटि है तथा लीज क्षेत्र की सीमा से नाले की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है। उक्त स्थितियों को स्पष्ट करने हेतु समिति द्वारा उपसमिति का गठन कर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण कर पुष्टि किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. लीज डीड की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी एवं जल संसाधन विभाग से अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया गया है। उपरोक्त उल्लंघन एवं

लीज क्षेत्र की सीमा से नाले की न्यूनतम दूरी के संबंध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निरीक्षण हेतु श्री किशन सिंह ध्रुव एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को सम्मिलित करते हुये दो सदस्यीय उपसमिति गठित की गई। उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2022 द्वारा श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 21/02/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 16/03/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"During the inspection Shri Deepak Tiwari, Mining Inspector Durg, Shri Shiv Patel Chemist, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg were also present, representiatives from M/s J.K. Lakshmi Cement Limited, Dr. Satish Mishra, General Manager, BL Bhati, Mine Manager, Shri Kumar Sachidanand and Mr. Dinesh Kumar were also present.

The document presented by the company were studied and found that lease grant in the area is for the duration of 30 years i.e. from 18/09/2001 to 17/09/2031.

- Leased area is marked with pillars and co-ordinates indicated over them (Phorograph enclosed 1 to 12).
- The quantity of limestone quanied 41.05 metric tonne and royalty was paid for the same (Certificate enclosed Page 56).
- Mining is not carried out at present due to lack of environment clearanace.
- All around plantation of lease area was observed and confirmed from the offrcers present (Photogaphs enclosed).
- Distance of one seasonal Water streams from lease area is 50m and more which was verified from the report of Mining Inspector. (Report enclosed page no.3).
- Report of Mining Inspector indicated that no excessive mining was performed above permissible limit (enclosed page no. 3).
- Consent to operate (CTO) with conditions from Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg was issued to the company which is being followed by the company (Report enclosed page 78).
- As per the condition of CTO Air Quality Monitoring Report of proposed area which has been leased out is to be submitted in every six months.
- Required instruments for measuring air quality index under the process of installation. Controlled blasting, wet drilling shall beadopted for excavation.

- 7.5m wide area all around the lease area has left for plantation and about 1500 nos. of trees have been planted and process of further plantation was going on during the inspection and no excavation in 7.5m statutory boundary all along the lease area (Report enclosed page no. 67 and photographs).
- NOC from Central Ground Water Authority, CG Water Resources Department has been obtained (Certificate enclosed for ready reference page no. 71 and 67).
- CTO compliance and Air Monitoring Report has been also enclosed (Page no. 68 and 73).
- As per the reports of Mining Department and CG Conservation Board, no objectionable clause was found during prima facei inspection (Report Enclosed).

All the above mentioned discussion has been verified by the committee. The report is submitted for further action."

(इ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि उपसमिति द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपसमिति एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संदीप वर्मा), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1970)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 261729/2022, दिनांक 16/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/05/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 765, कुल क्षेत्रफल–1.05 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–38,755 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स ए.टी. स्टोन (प्रो.– मोहम्मद आरिफ, बहनाकाडी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–बहनाकाडी, तहसील–आरंग जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1990)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 267611 / 2022, दिनांक 13 / 04 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21 / 04 / 2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27 / 04 / 2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बहनाकाडी, तहसील–आरंग जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 498, 499, 500, 501, 502 एवं 503, कुल क्षेत्रफल–1.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25 / 07 / 2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07 / 06 / 2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा (नंदिनी–खुदिनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदिनी–खुदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 70)**

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48530 / 2015, दिनांक 16 / 12 / 2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुनःविचार किये जाने हेतु दिनांक 20 / 06 / 2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2017 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 102वीं बैठक दिनांक 21/10/2020 में श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा (नंदिनी–खुंदिनी लाईम स्टोन माईन्स) को ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी, तहसील–खरखरा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1909(पी) में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1.92 हेक्टेयर, क्षमता – 40,500 टन प्रतिवर्ष हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रूपये 16,70,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रूपये 16,70,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा नहीं करने के कारण प्रकरण को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 115वीं बैठक दिनांक 22/09/2021 में लिये गये निर्णय अनुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1442, दिनांक 28/09/2021 द्वारा डि–लिस्ट/निरस्त किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रूपये 16,70,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट, अपरिहार्य कारणों से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा नहीं किया गया था। अतः उक्त राशि को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने हेतु आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नवमी, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि चूंकि आवेदित प्रकरण को पूर्व में ही प्रकरण में भी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1442, दिनांक 28/09/2021 द्वारा डि–लिस्ट/निरस्त किया गया है। अतः प्रकरण में पुनःविचार किया जाना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अनुपालन में पुनः आवेदन करने हेतु निर्देशित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स एन.एस. इस्पात (इण्डिया) लिमिटेड (यूनिट–2), ग्राम–सरोरा, तहसील–धरसींवां, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1881)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 246351/2021, दिनांक 21/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–सरोरा, तहसील–धरसींवां, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 411/3 (प.ह.नं. 101/29), कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर में री–रोल्ड प्रोडक्ट्स (रि–हीटिंग फर्नेस आधारित) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 4.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश पाण्डे, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा बिम, बैनल, पिलर एण्ड गिर्डर्स फॉर स्ट्रक्चर्स ऑयरन एण्ड स्टील क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 18/01/2021 को जारी की गई है, जो संचालन प्रारंभ माह की पहली तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–सरोरा 400 मीटर एवं रेलवे स्टेशन डब्ल्यू.आर.एस. 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, मना, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.1 कि.मी. दूर है। खारुन नदी 5.7 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in Sq. m.)	Area (%)
1	Rolling Mill Area	1,400	34.57
2	Finished Good Area	430	10.62
3	Raw material Yard	600	14.81
4	Green Belt Area	1,620	40.00
Total		4,050	100

5. रॉ–मटेरियल –

Name of Raw Material	Existing (TPA)	After Expansion (TPA)	Source	Mode Transport
Billets/Ingots	30,000	59,900	Open Market	By Road in Through Covered Trucks
Coal	3,000	5,672		

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Particular	Existing	After Expansion
1.	Unit	Reheating Rolling Mill (1X10 TPH)	Reheating Rolling Mill (1X10 TPH) No Change
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA	Re-rolled products – 59,900 TPA
Note: Existing reheating furnace based rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing number of working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day.			

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रि–हीटिंग फर्नेश आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में बिम, चैनल, पिलर एण्ड गिर्डर्स फॉर स्ट्रक्चर्स ऑयरन एण्ड स्टील के उत्पादन हेतु 9.1 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु 17.19 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 9,240 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान मे रोलिंग मिल से मिल स्केल–153 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग 102 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड ऑयल–60 लीटर प्रतिवर्ष, ऐश–1 टन प्रतिदिन एवं किचन वेस्ट 6 किलोग्राम प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रोलिंग मिल से मिल

स्क्रैल–300 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–500 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड आयल–120 लीटर प्रतिवर्ष, ऐश–2 टन प्रतिदिन एवं किचन वेस्ट 11 किलोग्राम प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्क्रैल एवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर को विक्रय किया जाएगा। किचन वेस्ट को बायो–कम्पोस्टिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। ऐश को समीपस्थ ईंट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 2 घनमीटर) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 6 घनमीटर) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एम्बीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 6 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, रॉ–सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार रोगी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 3,013 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2 मीटर, चौडाई 2 मीटर, गहराई 2 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अतिरिक्त 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2 मीटर, चौडाई 2 मीटर, गहराई 2 मीटर) निर्मित किया जाना

प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्व रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 8,910 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 7,900 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिससे एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम कर 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 1.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 2.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 214 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.162 हेक्टेयर (लगभग 40 प्रतिशत) क्षेत्र में 191 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से किये जाने हेतु अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. कुल क्षेत्रफल का 40.1 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि एन.एस.एल. इस्पात (इण्डिया) लिमिटेड के नाम पर है।
3. कार्यपालन अभियंता (संभाग-02), छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 01/02/2020 द्वारा जल प्रदाय करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।
4. वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 214 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.162 हेक्टेयर (लगभग 40 प्रतिशत) क्षेत्र में 191 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 405 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में रोपित 214 नग पौधे हेतु वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का

मत है कि प्रस्तावित कार्यकलाप पश्चात् किये जाने वाले वृक्षारोपण के तहत् वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण के.एम.एल. फाईल सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग (4.5 करोड़) का 2 प्रतिशत 9 लाख रूपये का व्यय उद्योग के आस–पास ईको पार्क निर्माण में किया जाना बताया गया है। परंतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 4 एवं 6 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14 / 03 / 2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स नव दुर्गा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–6), सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1878)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 246050 / 2021, दिनांक 20 / 12 / 2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 435ए, 423ए, 429, 430, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल – 1.15 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इंगाट्स / बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं री–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल (री–रोल्ड प्रोडक्टस) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु

आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 9.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश पाण्डे, डीयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा री–रोल्ड प्रोडक्ट्स आयरन/स्टील क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष एवं स्टील इंगाट्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 04/11/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 30/11/2024 तक की अवधि हेतु है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी बिरगांव 1 कि.मी. एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. तथा रेलवे स्टेशन उरकुरा 3.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। खारून नदी 6.4 कि.मी. दूर है।

   - **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या प्रोपित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लेण्ड एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार है:–

Particular	Area (in Sq.m.)	Area (%)
Induction Furnace Area	1,200	10.42
Rolling Mill Area	2,550	22.14
Finished Good Area	700	6.08
Raw material Yard	900	7.81
Parking Area	750	6.51
Road Area	800	6.94
Green Belt Area	4,620	40.10
Total	**11,520**	**100**

4. रॉ–मटेरियल –

For Induction Furanace			
Raw Material	**Existing Quantity (TPA)**	**After Expansion Quantity (TPA)**	**Mode of Transport**
Sponge Iron	24,425	46,500	By Road through covered trucks
Scrap	7,617	15,000	
Ferro Alloys	320	680	
For Rolling Mill			
Billets	30,000	59,900	In house

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particular	Existing	After Expansion
Unit	Induction Furnace (1x10 TPH) Reheating Furnace (1x10TPH)	Induction Furnace (2x10 TPH) Reheating Furnace (1x10 TPH)
Working Hour	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 10 Hrs	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 24 Hrs
Production	Billet 30,000 TPA Rerolled Product 30,000 TPA	Billets 59,900 TPA Rerolled Product 59,900 TPA
Coal Requirement	3,000 TPA	5,672 TPA
Note: Existing reheating furnace based rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing number of working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 24 Hrs per day.		

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पीटीएफई बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी की ऊंचाई यथावत् रहेगी। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फयुजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में री–रोल्ड प्रोडक्ट्स आँयरन/स्टील के उत्पादन हेतु 9.1 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु 17.19 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से एस.ओ$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 9,240 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एस.ओ$_2$ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से स्लेग–1,148 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल–153 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–102 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड आयल–90 लीटर प्रतिवर्ष, किचन वेस्ट 8 कि.ग्रा. प्रतिदिन एवं ऐश–1 टन प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित

कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस एवं री–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल से स्लेग– 2,250 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल– 300 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–500 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड आयल – 180 लीटर प्रतिवर्ष एवं ऐश–2 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगी। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग इकाई को विक्रय किया जाएगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर को विक्रय किया जाएगा। ऐश को समीपस्थ ईंट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, री–सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 7,907 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अतिरिक्त 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित

किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 30,287.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 24,789.6 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिससे एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम कर 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू-गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त नहीं है। जबकि इण्डक्शन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना परियोजना प्रस्तावक से मंगाया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 536 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.46 हेक्टेयर (लगभग 40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 614 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर 40.1 प्रतिशत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों

का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से किये जाने हेतु अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। जबकि इण्डक्शन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना कर प्रस्तुत करते हुए एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. कोल गैसीफायर से उत्पन्न फिनॉलिक वेस्ट वॉटर के उपचार / निपटान परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 (यथा संशोधित) एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोल गैसीफायर से उत्पन्न फिनॉलिक वेस्ट वॉटर हेतु माह जनवरी 2017 को जारी एसओपी (Standard Operating Procedure) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. कुल क्षेत्रफल का 40.1 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यपालन अभियंता (संभाग–02), छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06/01/2020 द्वारा जल प्रदाय करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।
3. प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया कि स्थापित चिमनी का में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित स्क्रबर के स्थान पर बेग फिल्टर लगाया जाएगा। अतः प्रदूषण भार की गणना हेतु आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रहेगी। साथ ही चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने हेतु उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
4. वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 22,334.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 13,384.8 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।
5. आवेदित प्रकरण में कोल गैसीफिकेशन प्रोसेस के तहत् उद्योग का संचालन किया जाएगा। गैस तापमान 475°C से अधिक रखा जाएगा। पाईप लाईन में एवं गैसीफायर में किसी भी प्रकार का टार फार्मेशन नहीं होगा। इस प्रोसेस में कोल में फिक्स कॉर्बन एवं वोलेटाईल मेटर उपस्थित रहेंगे। गैस हाई क्लोरिफिक वैल्यु में रहेगा। अतः फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। समिति का मत है कि यदि किसी कारणों (गैस तापमान में कमी होने, आकासमिक शट डाउन की स्थिति में, विद्युत अवरोध की स्थिति में इत्यादि) से फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न होगा, के संबंध

में फिनॉलिक वॉटर के उपचार / निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

6. वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 536 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.46 हेक्टेयर (लगभग 40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 614 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 1,150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 614 नग पौधों के लिए राशि 1,22,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,84,200 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 10,74,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 13,81,500 रूपये 5 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग (9.5 करोड़) का 2 प्रतिशत 19 लाख रूपये का व्यय उद्योग के आस–पास ईको पार्क निर्माण में किया जाना बताया गया है। परंतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 5 एवं 8 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/क्षेत्र से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स ओम श्री रूपेश स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–चिराईपानी, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1892)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 70583/ 2021, दिनांक 27/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–चिराईपानी, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित प्लाट क्रमांक 42, 37/2, 37/1/क, 104/1 एवं 104/2, कुल क्षेत्रफल – 3.471 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम क्षमता – 28,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,46,960 टन प्रतिवर्ष तथा रोलिंग

मिल क्षमता – 2,34,612 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित क्षमता – 1,60,512 टन प्रतिवर्ष एवं री–हीटिंग फर्नेस कोल जैसीफायर आधारित / पल्वराईज्ड कोल क्षमता – 74,100 टन प्रतिवर्ष), पाईप मिल क्षमता – 1,22,600 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 48.53 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयानंद अग्रवाल, डीयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ द्वारा एम.एस. इंगाट्स क्षमता – 28,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 12/10/2021 को जारी की गई है, जो 01 वर्ष की अवधि हेतु (Date of commissioning of the plant) वैध है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–पाली 1 कि.मी., शहर रायगढ़ 10 कि.मी एवं रेलवे स्टेशन किरोड़ीमल नगर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 800 मीटर की दूर है। केलो नदी 1.5 कि.मी. दूर है।

   - उर्दना आरक्षित वन 520 मीटर, बारकछार आरक्षित वन 1 कि.मी., तराईमल आरक्षित वन 3.6 कि.मी., बोईरदादर आरक्षित वन 8.43 कि.मी., केराडोंगरी संरक्षित वन 2.5 कि.मी. एवं लाखा संरक्षित वन 1 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (बी–1) प्रस्तुत किया गया है।

4. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

Land use	Existing		After Expansion	
	Area (in Sq. m.)	Area (%)	Area (in Sq. m.)	Area (%)
Built Up Area	0.8425	35	1.5758	45.40
Road Area	0.2407	10	0.3332	9.60
Green Belt Area	0.8023	33.33	1.1570	33.50

Open Area	0.5215	21.67	0.4050	11.50
Total	**2.4070**	**100**	**3.4710**	**100**

5. रॉ–मटेरियल –

For Induction Furanace (Steel melting shop)		
Name of Raw Material	**Quantity (TPA)**	**Mode of Transport**
Sponge Iron	2,32,075	By Road Through Covered Vehicles
CI/ Pig Iron Heavy Scrap	51,176	
Ferro Alloys	2,559	
Ramming Mass & other Refractory linings	370	
For Hot Charging Rerolling Mill		
Hot Billets	1,66,960	Internal Transfer
For Reheating Furnace based Rolling Mill		
Cold Billets Internally Available	78,000	Internal Transfer By Road Through Covered Vehicles
Coal	8,892	By Rail & Road Through Covered Vehicles
For Pipe Mill		
MS Strip Through Re-heating Furnace and outside Market	1,29,036	Internally available and through covered trucks from nearby steel plants

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particulars	**Existing Capacity (in TPA)**	**After Expansion Capacity (in TPA)**
Steel Melting Shop (Induction Furnace with CCM)	28,800 TPA (1 X 10 T & 1 X 6 T Furnace)	246,960 TPA (6 X 12 T Furnace)
Hot Charging based Rolling Mill	-	1,60,512
Reheating Furnace based on Coal Gasifier/ Pulverised Coal Rolling Mill	-	74,100
Pipe Mill	-	1,22,600

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रस्तावित परियोजना हेतु रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वेट स्क्रबर एवं चिमनी लगाया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत स्टील मेल्टिंग शॉप से डिफेक्टिव बिलेट्स – 2,520 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल – 2,520 टन प्रतिवर्ष, स्लेग– 29,195 टन प्रतिवर्ष, रिफेक्ट्री एण्ड रनिंग मास वेस्ट – 185 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से मिल स्केल – 4,939 टन प्रतिवर्ष, डिफेक्टिव

एण्ड मिस रोल– 7,409 टन प्रतिवर्ष, कोल ऐश– 4,001 टन प्रतिवर्ष तथा पाईप मिल से एम.एस. स्क्रैप– 6,452 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्टील मेल्टिंग शॉप से उत्पन्न डिफेक्टिव बिलेट्स एवं मिस रोल को स्वयं के रि–रोलिंग प्लांट में स्क्रैप के रूप में उपयोग अथवा अन्य रोलिंग मिल को विक्रय किया जाएगा। रोलिंग मिल से उत्पन्न मिल स्केल को समीपस्थ फेरो एलॉय /पेलेट प्लांट को विक्रय किया जाएगा। स्लैग को मैटल रिकवरी के लिए आंतरिक रूप से उपयोग (Used Internally) एवं ईट निर्माण इकाई को उपलब्ध अथवा मेटल रिकवरी इकाई को विक्रय किया जाएगा। रिफेक्ट्री एण्ड रनिंग मास वेस्ट को अधिकृत रिसायक्लर को विक्रय किया जाएगा। कोल ऐश को ब्रिक निर्माण इकाई अथवा सीमेंट निर्माण इकाई को विक्रय किया जाएगा। एम.एस पाईप मिल से उत्पन्न एम.एस. स्क्रैप को स्वयं के रि–रोलिंग प्लांट में स्क्रैप के रूप में उपयोग अथवा अन्य रोलिंग मिल को विक्रय किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 80 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 210 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 201 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 9 घनमीटर) जल का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में भू–जल की उपयोगिता (80 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 20/11/2023 तक की अवधि हेतु अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपचारित जल को डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाती है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत दूषित जल की मात्रा एवं उसके उपचार की जानकारी (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ)वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है।

  (ब)ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, गहराई 2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुल रन ऑफ वॉटर की विस्तृत गणना/जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सके तथा सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 5.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 21 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 750 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित है एवं इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 750 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1.157 हेक्टेयर (लगभग 33.5 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 08/06/2022 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है। अतः उपरोक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के आधार पर अतिरिक्त टीओआर सहित स्टैण्डर्ड टीओआर जारी किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण की–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस

अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit the NOC from forest department, mentioning distance between project boundary to Wildlife sanctuary & forest boundary.

iv. Project proponent shall submit the elephant movement corridor conservation plan.

v. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with chimney height and pollution emission level calculation (for existing & proposed).

vi. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

vii. Project proponent shall submit the revise layout plan for increasing Plantation area and earmarking altleast 20m wide green belt all along the pheriphery of the project area.

viii. Project proponent shall submit affidavit for Public Hearing Commitment.

ix. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for after expansion quantity).

x. Project proponent shall submit details of Traffic study report (for existing & proposed).

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in india.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1081बी)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43985/2017, दिनांक 27/12/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43985/2017, दिनांक 19/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शंकर ज्ञानचंदानी, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्रीमती पूनम मंगलम एवं श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा) के नाम पर टी.ओ.आर. जारी किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का हस्तांतरण मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर किये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1896/ख.नि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/07/2020 द्वारा उत्खनिपट्टा के अंतरण अनुबंध बाबत् पत्र जारी किया गया है।

   साथ ही संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3602/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 05/2019(2) नया रायपुर, दिनांक 05/07/2021 द्वारा माडिफाईड क्वारी प्लान (क्वॉरी कम इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) को भी **मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो. – श्री शंकर ज्ञानचंदानी)** के नाम पर जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु समिति के समक्ष अनुरोध किया गया।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

3. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.296 हेक्टेयर, क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 261/खा.ति. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2007	–	2014	1,525
2008	555	2015	10,177
2009	516	2016	20,246
2010	276	2017	6,324
2011	3,715	2018	19,895
2012	662	2019	12,249
2013	1,702		

4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 07/09/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, विथ क्वॉरी क्लोजर प्लान एण्ड इन्फ्रायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर (खनि प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/तीन–6/खा.ति./2016/534 रायपुर, दिनांक 01/03/2016 द्वारा (मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा) के नाम पर) अनुमोदित है। तत्पश्चात् माडिफाईड क्वारी प्लान (क्वॉरी कम इन्फ्रायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर

अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3602/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 05/2019(2) नया रायपुर, दिनांक 05/07/2021 द्वारा (मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर) अनुमोदित है।

6. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2768/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.818 हेक्टेयर है।

7. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2768/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे एवं अन्य कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

8. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। पूर्व में लीज श्री प्रशांत बोहरा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 31/07/2020 को श्री शंकरलाल ज्ञानचंदानी के नाम पर किया गया है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/12/2007 से 14/12/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज का नवीनीकरण 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/12/2012 से 14/12/2017 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 15/12/2017 से 23/12/2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./4230 खैरागढ़, दिनांक 13/09/2007 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकसा 550 मीटर एवं अस्पताल बल्देवपुर 1.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। तालाब 2.2 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 9,71,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,23,137 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,20,682 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,769 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,000 घनमीटर है, इस ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5

मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,500	षष्टम	12,500
द्वितीय	12,500	सप्तम	12,500
तृतीय	12,500	अष्टम	12,500
चतुर्थ	12,500	नवम	12,500
पंचम	12,500	दशम	12,500

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 950 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 19,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,17,400 रूपये, खाद के लिए राशि 7,140 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,13,200 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,56,740 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 6,88,560 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,769 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 243 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 247.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिण दिशा में 645 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन्स लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	26.10	44.77	60
PM_{10}	47.22	67.15	100
SO_2	9.03	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.01 to 0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12.00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. खदान में ब्लास्टिंग से पत्थर दूर खेतों में जाकर गिरते है एवं मकानों में दरार आ चुका है। हैवी ब्लास्टिंग होने से पास के स्कूल में सूचना देने के लिए मुंशी आते है एवं नजदीक स्थित क्रशर को बंद किया जाना चाहिए।

ii. खदान अत्यधिक गहरा हो चुका है। गर्मी के दिनों में 5–7 जानवर गिर चुके है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही लीज क्षेत्र के चारों ओर फेन्सिंग किया जाना चाहिए।

iii. गांव कलकसा से बलदेवपुर जाने वाली सड़क बहुत जर्जर हो चुकी है, जिससे बच्चों को स्कूल आने–जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुभवी कॉन्ट्रेक्टर की निगरानी में कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा।

ii. खदान के चारों ओर कंटीले तारों से फेंसिंग किया जाएगा, जिससे गांव के मवेशी खदान के अंदर नहीं जा पायेंगे।

iii. खदान से निकलने वाले वाहनों के कारण जो सड़क में गड्ढे हो गये है, उसकी समय–समय में मरम्मत की जाएगी।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	49,340	4,940	4,940	4,940	4,940
	फेंसिंग हेतु राशि	34,76,700	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	5,94,072	3,41,812	3,41,812	3,41,812	3,41,812
कुल राशि		**41,20,112**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
300 मीटर मार्ग के दोनो तरफ (200 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	4,000	400	400	400	400
	फेंसिंग हेतु राशि	2,96,000	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,02,700	1,68,470	1,68,470	1,68,470	1,68,470
कुल राशि		**5,02,700**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Pavitra Van	10.78
			Total	**10.78**

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 980 नग पौधों के लिए राशि 19,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 67,500 रूपये, खाद के लिए राशि 7,350 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,41,680 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,36,130 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,89,112 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बल्देवपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 1.22 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर हेतु किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 10 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत मॉडिफाईड माईनिंग प्लान में 30 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्षमता – 12,500 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख होना पाया गया है। उक्त कारणों से रिजर्व की गणना में भिन्नता परिलक्षित हो रही है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

26. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन दिनांक 29/01/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन के विवरण की जानकारी में वर्षवार उत्खनन का इकाई घनमीटर में है, जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति में क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी किया गया है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. रिजर्व की गणना में भिन्नता परिलक्षित होने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति तक उत्खनित खनिज की मात्रा खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान दिनांक 05/07/2021 अनुसार चूना पत्थर उत्खनन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में चूना पत्थर उत्खनन क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि चूना पत्थर उत्खनन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष हेतु ही विचार किया जाएगा।

2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 261/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 द्वारा उत्पादन आंकड़ों की जानकारी में टन के स्थान पर घनमीटर का उल्लेख हो गया था। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1340/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2007–08	30	2015–16	14,279
2008–09	841	2016–17	14,489
2009–10	288	2017–18	6,324
2010–11	2,768	2018–19	19,895
2011–12	1,387	2019–20	10,599
2012–13	1,435	2020–21	3,200
2013–14	1,720	2021–22	6,230
2014–15	2,020		

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक

07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate

   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

6. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों को करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

9. मेसर्स जय मां काली स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, हस्तिनापुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1822)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 230768/2021, दिनांक 25/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 15, कुल क्षेत्रफल–1.215 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,397 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स भाटपाल सेण्ड माईन (प्रो.– श्री शुक्र कुमार निषाद), ग्राम–भाटपाल, तहसील व जिला–नारायणपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1899)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 248414/2021, दिनांक 31/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–भाटपाल, तहसील व जिला–नारायणपुर स्थित खसरा क्रमांक 581, कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन छेरीबेडा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 98,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शुक्र कुमार निषाद, प्रोपराईटर एवं श्री सोमेश्वर सिन्हा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भाटपाल का दिनांक 21/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित –** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 900/खनिज/उत्ख.यो.अनु/रेत/2021–22 कांकेर, दिनांक 07/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 452/खनिज/रेत खदान/ख.लि./2021–22 नारायणपुर, दिनांक 25/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 453/खनिज/रेत खदान/ख.लि./2021–22 नारायणपुर, दिनांक 25/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. श्री शुक्र कुमार निषाद के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 392/खनिज/ख.लि./रेत नीलामी/2021–22 नारायणपुर, दिनांक 30/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2449 नारायणपुर, दिनांक 29/05/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–खारगांव 1.52 कि.मी., स्कूल ग्राम–भाटपाल 2 कि.मी. एवं अस्पताल नारायणपुर 25 कि.मी. की

दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 124 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.39 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 90 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 1,150 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 54 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से न्यूनतम 10 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 96,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ग्राम–भाटपाल के खसरा क्रमांक 581, क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर, जो वन भूमि (वन कक्ष क्रमांक–पी 2316) के अंतर्गत है। सी.ई.आर. कार्य के लिए गैर वन भूमि में वृक्षारोपण एवं रख–रखाव का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड

बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनो ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर. एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् गैर वन भूमि में वृक्षारोपण एवं रख-रखाव का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारो तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 28/12/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at **Village-Bhatpal**	
			Pavitra Van Nirman	9.57
			Total	**9.57**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 28,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,500 रूपये, खाद के लिए राशि

6,000 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,08,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,03,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,53,920 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत भाटपाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 237, क्षेत्रफल 2.61 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। छेरीबेड़ा नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर, दिनांक 30/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग प्रोजेक्ट (पु).– श्री विवेक अग्रवाल), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1853)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एनआईएन/69928/2021, दिनांक 09/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 36 (पार्ट), 38 (पार्ट) एवं 39, कुल क्षेत्रफल–1.01 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–32,313.75 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आमाकोनी का दिनांक 10/03/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी माईनिंग प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 6111/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(4) नवा रायपुर, दिनांक 02/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1053/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 12/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 65.093 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1053/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 12/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 580/गौ.खनिज/उ.प./2020 बलौदाबाजार, दिनांक 08/09/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–आमाकोनी 1.15 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–आमाकोनी 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सुहेला 3.66 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं महानदी केनाल 9.72 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 4,72,661 टन (1,89,064 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,28,135 टन (91,254 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,16,728 टन (86,691 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,081 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,808 घनमीटर है, जिसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौडाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	29,948
द्वितीय	32,313
तृतीय	25,751
चतुर्थ	25,290
पंचम	30,000

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 मार्च से 31 मई, 2022 के मध्य किया गया है। उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा को ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,081 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 606 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख

अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii.(i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सरसमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आमाकोनी का दिनांक 10/03/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में क्वारी लीज श्री विवेक अग्रवाल (आवेदक) के नाम पर था, जिसकी वैधता समाप्त होने के पश्चात् उसने से कुछ क्षेत्र में पुनः क्वारी लीज के लिए आवेदन किया गया है। अतः प्रस्तुत ग्राम पंचायत आमाकोनी के अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर सामान्य वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा./979 रायपुर, दिनांक 06/04/2005 द्वारा जारी प्रतिवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में क्वारी लीज श्री विवेक अग्रवाल (आवेदक) के नाम पर था, जिसकी वैधता समाप्त होने के पश्चात् उसमें से कुछ क्षेत्र में पुनः क्वारी लीज के लिए आवेदन किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रतिवेदन पत्र को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1053/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 12/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 65.093 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–आमाकोनी) का रकबा 1.01 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–आमाकोनी) को मिलाकर कुल रकबा 66.103 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस

अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) गीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the Gram Panchayat NOC for supply and permission for usage of the supplied water.

iv. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

v. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

xi. Project proponent shall submit permission from DGMS for blasting & incorporate the permission in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज (पार्टनर – श्री राणा अरुण कुमार सिंह, खैरवारी स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट), ग्राम–खैरवारी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1909)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 70968 / 2022, दिनांक 10 / 01 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04 / 02 / 2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खैरवारी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 391, 392 एवं 393(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.788 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 05 / 05 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10 / 05 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेश पटेल, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 391, 392 एवं 393(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.788 हेक्टेयर, क्षमता–38,123 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 15 / 03 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई थी।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परंतु प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 104/ खनि/ तीन–1/ 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 09/05/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	निरंक
2018–19	10,900
2019–20	20,250
2020–21	34,600
2021–22	37,500

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन का दिनांक 28/09/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – स्कीम ऑफ क्वारी प्लान एलांग विथ मॉडिफाईड माईन क्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5979/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(1) नवा रायपुर, दिनांक 23/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 05/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.367 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 05/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज के नाम पर है। लीज 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/12/2007 से 30/11/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/12/2017 से 30/11/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि श्री योगेश पटेल, श्री तरूण पटेल, निकुंज पटेल, श्री जयन्ती भाई पटेल एवं श्री मंगल भाई पटेल पार्टनर है। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है। भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि.

/खनिज/2021/2266 बलौदाबाजार, दिनांक 02/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खैरवारी 1.02 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–सुहेला 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सुहेला 1.65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं जमुना नदी 8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 8,73,600 टन (3,49,440 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 3,98,849 टन (1,59,539 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,78,906 टन (1,51,562 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,332 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,492 घनमीटर है, जिसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	49,170
तृतीय	56,025
चतुर्थ	48,990
पंचम	50,550

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.58 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 790 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,332 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 616 वर्गमीटर क्षेत्र 14 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः

परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 मार्च से 31 मई, 2022 के मध्य किया गया है। उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा को ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1, पी-2) सहमति पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. भूमि संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि श्री बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज के नाम पर है।

3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत लोहारी का दिनांक 15/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 05/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.367 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–खैरवारी) का रकबा 1.788 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–खैरवारी) को मिलाकर कुल रकबा 6.155 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
   ii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.
   iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
   iv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

vi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

vii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS and submit an affidavit that controlled blasting shall be done by Explosive License Holder & incorporate the permission in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

ix. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area will have to be fenced.

xi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in india.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कर्लदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़